

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

मांग संख्या 45

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	1455.13	...	1455.13	3285.19	2.46	3287.65	3654.64	2.31	3656.95	4016.46	2.54	4019.00
<b>वसूलियां</b>	-45.19	...	-45.19	...	...	...	-745.00	...	-745.00	-729.00	...	-729.00
<b>प्राप्तियां</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>1409.94</b>	...	<b>1409.94</b>	<b>3285.19</b>	<b>2.46</b>	<b>3287.65</b>	<b>2909.64</b>	<b>2.31</b>	<b>2911.95</b>	<b>3287.46</b>	<b>2.54</b>	<b>3290.00</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	35.56	...	35.56	125.10	1.76	126.86	121.38	2.06	123.44	119.98	2.00	121.98
2. अंतरराष्ट्रीय सहयोग	0.18	...	0.18	0.18	...	0.18	0.20	...	0.20	0.50	...	0.50
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>35.74</b>	...	<b>35.74</b>	<b>125.28</b>	<b>1.76</b>	<b>127.04</b>	<b>121.58</b>	<b>2.06</b>	<b>123.64</b>	<b>120.48</b>	<b>2.00</b>	<b>122.48</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
3. प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना												
3.01 कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अंतरण	...	...	...	...	...	...	745.00	...	745.00	729.00	...	729.00
3.02 प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना	561.92	...	561.92	923.24	...	923.24	745.00	...	745.00	729.00	...	729.00
3.03 घटाइए- कृषि अवसंरचना और विकास निधि से प्राप्त राशि को	...	...	...	...	...	...	-745.00	...	-745.00	-729.00	...	-729.00
<b>निवल</b>	<b>561.92</b>	...	<b>561.92</b>	<b>923.24</b>	...	<b>923.24</b>	<b>745.00</b>	...	<b>745.00</b>	<b>729.00</b>	...	<b>729.00</b>
4. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना	489.83	...	489.83	1529.80	0.20	1530.00	1149.80	0.20	1150.00	1443.98	0.04	1444.02
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>1051.75</b>	...	<b>1051.75</b>	<b>2453.04</b>	<b>0.20</b>	<b>2453.24</b>	<b>1894.80</b>	<b>0.20</b>	<b>1895.00</b>	<b>2172.98</b>	<b>0.04</b>	<b>2173.02</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
5. राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम) कुंडली	59.56	...	59.56	38.26	...	38.26	60.00	...	60.00	65.00	...	65.00
6. राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम)- तंजावुर	33.31	...	33.31	30.06	...	30.06	33.31	...	33.31	50.00	...	50.00
<b>जोड़-स्वायत्त निकाय</b>	<b>92.87</b>	...	<b>92.87</b>	<b>68.32</b>	...	<b>68.32</b>	<b>93.31</b>	...	<b>93.31</b>	<b>115.00</b>	...	<b>115.00</b>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>92.87</b>	...	<b>92.87</b>	<b>68.32</b>	...	<b>68.32</b>	<b>93.31</b>	...	<b>93.31</b>	<b>115.00</b>	...	<b>115.00</b>
<b>राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>												
7. प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के औपचारिकीकरण की (पी.एम. एफएमई) योजना	274.77	...	274.77	638.55	0.50	639.05	799.95	0.05	800.00	879.00	0.50	879.50
8. वास्तविक वसूलियां	-45.19	...	-45.19	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>	<b>229.58</b>	...	<b>229.58</b>	<b>638.55</b>	<b>0.50</b>	<b>639.05</b>	<b>799.95</b>	<b>0.05</b>	<b>800.00</b>	<b>879.00</b>	<b>0.50</b>	<b>879.50</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>1409.94</b>	...	<b>1409.94</b>	<b>3285.19</b>	<b>2.46</b>	<b>3287.65</b>	<b>2909.64</b>	<b>2.31</b>	<b>2911.95</b>	<b>3287.46</b>	<b>2.54</b>	<b>3290.00</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. खाद्य भंडारण और माल गोदाम	1354.82	...	1354.82	2826.92	...	2826.92	1929.10	...	1929.10	2249.48	...	2249.48
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	35.55	...	35.55	125.10	...	125.10	121.38	...	121.38	119.98	...	119.98
3. खाद्य भंडारण और भंडारागार पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	0.70	0.70	...	0.25	0.25	...	0.54	0.54
4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	1.76	1.76	...	2.06	2.06	...	2.00	2.00
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>1390.37</b>	...	<b>1390.37</b>	<b>2952.02</b>	<b>2.46</b>	<b>2954.48</b>	<b>2050.48</b>	<b>2.31</b>	<b>2052.79</b>	<b>2369.46</b>	<b>2.54</b>	<b>2372.00</b>
<b>अन्य</b>												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	156.42	...	156.42	154.50	...	154.50	165.00	...	165.00
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	18.07	...	18.07	171.75	...	171.75	697.16	...	697.16	741.00	...	741.00
7. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	1.50	...	1.50	5.00	...	5.00	7.50	...	7.50	12.00	...	12.00
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>19.57</b>	...	<b>19.57</b>	<b>333.17</b>	...	<b>333.17</b>	<b>859.16</b>	...	<b>859.16</b>	<b>918.00</b>	...	<b>918.00</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>1409.94</b>	...	<b>1409.94</b>	<b>3285.19</b>	<b>2.46</b>	<b>3287.65</b>	<b>2909.64</b>	<b>2.31</b>	<b>2911.95</b>	<b>3287.46</b>	<b>2.54</b>	<b>3290.00</b>

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय पर व्यय के लिए किया गया है।

(ख) कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना के लिए योजना (38.90 करोड़ रु),

2. **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** यह प्रावधान अंगूर की बेल और वाइन (ओआईवी) के अंतरराष्ट्रीय संगठन में अंशदान के लिए है।

(ग) एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना के लिए योजना (179.80 करोड़ रु),

(घ) खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमताओं के सृजन/विस्तार के लिए योजना (271.60 करोड़ रु),

3. **प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना:** निम्नलिखित योजनाओं के वित्तपोषण के प्रावधान के लिए किया गया है:

(ङ) बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज के सृजन के लिए योजना (6.20 करोड़ रु),

(क) मेगा फूड पार्क के लिए योजना (24.80 करोड़ रु),

(च) खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना के लिए योजना (30.00 करोड़ रु),

(छ) मानव संसाधन और संस्थाओं के लिए योजना (4.10 करोड़ रुपये),

(ज) ऑपरेशन ग्रीन के लिए योजना (173.40 करोड़ रुपये) और

(झ) स्वच्छता कार्य योजना (0.20 करोड़ रुपये)

4. **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना:** पीएलआई योजना को भारत की विनिर्माण क्षमताओं के संवर्धन और संवर्धित निर्यात के लिए तैयार किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैम्पियन को तैयार करने के लिए सहायता; अंतरराष्ट्रीय बाजारों में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांड की सहायता; ऑफ-फार्म के रोजगार अवसर बढ़ाने और कृषि उत्पाद के लिए पारिश्रमिक मूल्य तथा किसानों के लिए अधिक आय सुनिश्चित करना है।

5. **राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम) कुंडली:** राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम) का नाम बदल कर निफ्टेम - कुंडली कर दिया गया है। यह प्रावधान आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान है।

6. **राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम)-तंजावुर:** संसद ने दिनांक 26.07.2021 को निफ्टेम अधिनियम, 2021 पारित किया, जिसके प्रवृत्त होने के बाद संस्थान आईआईएफपीटी, थंजावुर का नाम बदल कर निफ्टेम - तंजावुर कर दिया गया है। यह प्रावधान आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने हेतु किया गया है।

7. **प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के औपचारिकीकरण की (पी.एम. एफएमई) योजना:** यह प्रावधान 'आत्म निर्भर भारत पैकेज के तहत 2020 में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में आरंभ की गई स्कीम के लिए है, जो पांच वर्षों की अवधि में 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लाभान्वित करने और पांच साल की अवधि में क्षेत्र की औपचारिकता को बढ़ावा देने के लिए है।